

TRANSPORT DEPARTMENT
GOVT. OF NCT OF DELHI

PUBLIC NOTICE

**FINANCIAL ASSISTANCE TO PSV BADGE / PERMIT HOLDERS OF PARA
TRANSIT PUBLIC SERVICE VEHICLES AND OWNERS OF E-RICKSHAWS**

The last date of submission of applications under above scheme has been extended
upto 18.06.2021


Dy. Commissioner (Operations-I)

परिवहन विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

सार्वजनिक सूचना

पेरा ट्रांजिट पब्लिक सर्विस वाहनों के पीएसवी बैज / परमिट धारकों और ई-रिक्शा के मालिकों को वित्तीय सहायता।

उपरोक्त योजना के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18.06.2021 तक बढ़ा दी गई है।

78
उप आयुक्त (ऑपरेशन-1)